उनवान = भुआयाराम बनाम चन्द्रशेखर

मु॰नं॰ = 40/2023

(6)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई गत आदेश की पालना में दिनांक 15/7/24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
15/7/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस/जवाब 7/11 हेतु आ.ता. 7-8-24 को पेश हो। उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा)	
7/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई गत आदेश की पालना में दिनांक 5-9-24 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर	
5/9/24	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते [illegible] हेतु 26-9-24 को पेश हो। उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा)	
26/9/24	पत्रावली पेश हुई। बहस प्रा. पत्र Order 7 Rule 11 पर सुनी गई, वास्ते आदेश तारीख 7-10-24 को पेश हो। उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा)	
7/10/24	पत्रावली पेश हुई। प्रा.पत्र CPC आदेश 7 नियम 11 पर निर्णय पृथक से लिखा गया, प्रा.पत्र 7/11 स्वीकार किया गया। फलस्वरूप 7/11 स्वीकार होने से खारिज किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा)	

उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या :–40/2023
निर्णय दिनांक :– 7.10.2024

प्रकरण :– दावा उद्घोषणा बाबत खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण का उनवान

1.लुभायाराम
2. गजेन्द्र
पुत्रान श्रीनारायण जाति ब्राहमण निवासी गुढाकटला तहसील बसवा जिला–दौसा राजस्थान (वादीगण)

बनाम

1. चन्द्रशेखर पुत्र गणेश नारायण
2. विजय कुमार पुत्र गणेशनारायण
3. नरेन्द्र पुत्र शिवलहरी
4. महेन्द्र पुत्र शिवलहरी
5. धप्पी देवी पत्नी शिवलहरी
6. कुसुमलता पुत्री शिवलहरी
7. गायत्री पुत्री शिवलहरी
8. प्रेम देवी पत्नी ललता प्रसाद
9. रविन्द्र पुत्र ललता प्रसाद
10. अरविन्द पुत्र ललता प्रसाद
11. अवनी पुत्र ललता प्रसाद
12. अरूण उर्फ रामबाबू पुत्र ललता प्रसाद
13. शकुन्तला पत्नी देवकीनन्दन
14. देवेन्द्र पुत्र देवकीनन्दन
15. कृष्णकुमार पुत्र देवकी नन्दन
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा (प्रतिवादीगण)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.

–: निर्णय ''प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी 1908'' के तहत :–

दिनांक :– 07.10.2024

उपस्थिति :–1.वादीपक्ष की ओर से –एडवोकेट श्री सुशील कुमार [illegible]
2.प्रतिवादी सं. [illegible] 4, 5, 13, 15 की ओर से एडवोकेट [illegible]
3. प्रतिवादी संख्या [illegible] 12 व 14 की ओर से एडवोकेट श्री अनिल कुमार शर्मा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई । प्रश्नगत प्रकरण संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा में इस आशय का दावा उद्घोषणा बाबत खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया । प्रकरण में वादीगण द्वारा अंकन किया कि वादीगण व

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य हैं । मूलचंद उर्फ मूलावल्द कालू जाति ब्राहमण निवासी गुढाकटला के वारिसान है । सजरा अंकित किया गया है । वादीगण के दादा मूलचंद उर्फ मूला के 2 पुत्र थे जिनमें बडे वाले पुत्र का नाम गणेशनारायण व छोटे वाले पुत्र वादीगण के पिता श्रीनारायण थे । प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 वादीगण के ताउ गणेश नारायण के वारिसान हैं । पक्षकारान संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य हैं एवं हिन्दु परंपराओं, रूढियां पक्षकारान पर लागू होती हैं । भूमि खाता संख्या नया 345 पुराना 336 आराजी खसरा नंबर 1664/2402 रकबा 0.01 हैक्टयर, 1667 रकबा 0.09 हैक्टयर, 1929 रकबा 0.03 हैक्टयर, 1930 रकबा 0.42 हैक्टयर, 1931 रकबा 0.38 हैक्टयर, 1933 रकबा 0.46 हैक्टयर, 1936/2458 रकबा 0.49 हैक्टयर, 2063 रकबा 0.43 हैक्टयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.31 हैक्टयर वाके ग्राम मूही पटवार हलका मूही में स्थित है । वादपत्र में बंकित भूमि खसरा नंबर 1667 के साबिक खसरा नंबर 425 रकबा 8 बिस्वा, 1929 के साबिक खसरा नंबर 513 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 1930 व 1933 के साबिक खसरा नंबर 514/1 मिन रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 1931 साबिक खसरा नंबर 464 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 2063 के साबिक खसरा नंबर 551/1 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा रहे हैं एवं खसरा नंबर 1664/2402 के साबिक खसरा नंबर 425 मिन एवं खसरा नंबर 1936/2458 के साबिक खसरा नंबर 502/1 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा रहे हैं जिनका संवत् 2052–2017 का भू.प्रबन्ध पर्चा संलग्न है । वादपत्र के पैरा नंबर 3 में अंकित भूमि पक्षकारान की पुश्तैनी आराजियात रही है जो कि वादीगण के दादा मूल्या उर्फ मूलचंद पुत्र कालूराम की संपत्ति रही है । संवत् 1984 की मिसल हकीयत बंदोबस्ती मौजा मूही की प्रमाणित प्रतिलिपि वादपत्र के संलग्न हैं जिसके अनुसार वादीगण के दादा मूलचंद उर्फ मूल्या वल्द कालूराम के नाम आराजी खसरा नंबर 1105, 1292, 1293, 1311, 1312, 1331, 1333, 1334, 1335, 1330/1618 कुल किता 10 कुल रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा भूमि वादीगण के दादा की संपत्ति रही है । इस प्रकार वादपत्र के पैरा नंबर 1 में वर्णित संपत्ति पक्षकारान की पैतृक संपत्ति है । वादीगण के ताउ गणेश नारायण मूल्या उर्फ मूलचंद के बडे पुत्र टीकाराम कर्ता खानदान होने के कारण मूल्या उर्फ मूलचंद की मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति को अपने नाम करवा ली । उस समय वादीगण के पिता और गणेशनारायण साथ–साथ रहते थे । तथा अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि पर काश्त करते रहे हैं । प्रतिवादीगण 1 व 2 के पिता व प्रतिवादीगण 3 लगायत 15 के दादा गणेशनारायण ने एकीकरण के समय तत्कालीन अधिकारियों के समक्ष 11.8.1960 को जलसे आम में बयान किया कि "मेरे पिता मूलचंद फौत हो गये । जिसको करीब ढाई गाह हो गया । मूलचंद के हम 2 जायछा लडके हैं । अतः खाता मजकूर की आराजी की इन्द्राज खातेदारी हमारे नाम निम्न प्रकार की जावे । पटेलान पेट भी तस्दीक करते हैं । गणेश नारायण व श्री नारायण पिता मूलचंद जाति ब्राहमण साकिन गुढाकटला हिस्सा बराबर।" उक्त बयान का भूमि एकीकरण विभाग राजस्थान के "पर्चा आखरी तस्दीक" में इसका विवरण दर्ज है । उक्त बयान पर गणेशनारायण के स्वयं के हस्ताक्षर भी हैं तथा इस पर्चा बयान के पश्चात वादीगण के दादा श्री नारायण का नाम कृषक वाले कॉलम में अंकित भी किया गया है । गणेशनारायण द्वारा समस्त आराजियात जो कि पैतृक संपत्ति होने की वजह से उसे अपने पिता मूल्या [illegible] पश्चात बडे बेटे होने के कारण उसके नाम दर्ज हो गई थी । इस बाबत [illegible] दिया था परंतु भूप्रबन्ध अधिकारियों के द्वारा उक्त पर्चा बयान में [illegible] करने के बावजूद भी वादीगण के दादा श्रीनारायण के नाम भूमि [illegible] हिस्से का इन्द्राज नहीं किया गया जो कि कानूनन दर्ज करना जरूरी था । वादीगण [illegible] वादग्रस्त में हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार हैं और इसी आशय की उद्‌घोषणा करवाने के अधिकारी हैं । राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1957 के लागू होने के पश्चात जो कि संवत् 2002 से एकीकरण की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी उससे पहले जमाबंदी प्रतिवर्ष बनाई जाती थी और आराजियात के खसरा नंबर बदलते रहते थे, उस समय मिलान क्षैत्रफल भी नहीं बनते थे, मिलान क्षैत्रफल भी एकीकरण के पश्चात ही बनने लगे हैं । वादीगण के प्रतिवादीगण से वादपत्र

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:08:12 IST
Reason: Self Attested

के पैरा नंबर 3 में वर्णित संपत्ति में से वादी के छकछकूक व हिस्से की भूमि 1/2 को नाम करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण पहले तो हां करते रहे परंतु दिनांक 10.2.2021 को स्पष्ट रूप से वादीगण के हिस्से की भूमि का हिस्सा 1/2 को नाम करवाने से स्पष्ट इंकार कर दिया । इस कारण वादीगण को श्रीमान् के समक्ष वाद पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है । लिहाजा भूमि खाता संख्या नया 345 पुराना 336 आराजी खसरा नंबर 1664/2402 रकबा 0.01 हैक्टयर, 1667 रकबा 0.09 हैक्टयर, 1929 रकबा 0.03 हैक्टयर, 1930 रकबा 0.42 हैक्टयर, 1931 रकबा 0.38 हैक्टयर, 1933 रकबा 0.46 हैक्टयर, 1936/2458 रकबा 0.49 हैक्टयर, 2063 रकबा 0.43 हैक्टयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.31 हैक्टयर वाके ग्राम मूही पटवार हलका मूही में वादीगण को हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । व भूमि की मौका व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के लिये स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे ।

वादीगण द्वारा वादपत्र के संलग्न निम्नांकित दस्तावेजात की फोटोप्रतियां भी प्रमाणन के रूप में पेश की :—

1. मिसल हकीयत बंदोबस्त मौजा मूही संवत् 1984 के खाता संख्या 47 की प्रति, जिसमें इस खाता संख्या 47 का खातेदार मूला वल्द कालूराम कौम ब्राह्मण निवासी गुढाकटला का नाम अंकित है, जिसमें खसरा नंबर 1105, 1292, 1293, 1311, 1312, 1331, 1333, 1334, 1335, 1338 व 1330/1618 कुल किता 10 कुल रकबा 18 बीघा 16 बिस्वा भूमि का अंकन किया हुआ है ।

2. रजिस्टर चकबंदी ग्राम मूही संवत् 1991 से 2000 की प्रमाणित प्रति पेश की जिसके अनुसार ग्राम मूही खसरा नंबर 1105, 1311, 1312 कुल किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि खातेदार गणेशनारायण पुत्र मूलचंद ब्राहमण साकिन गुढाकटला के नाम दर्ज रिकोर्ड रही है ।

3. भूमि एकीकरण विभाग,राजस्थान का पर्चा आखरी तस्दीक का पर्चा जिसके अनुसार ग्राम मूही के खाता संख्या 225 में काश्तकार का विवरण इस प्रकार अंकित किया है कि (पुनः विभाजन के पश्चात) गणेशनारायण व श्रीनारायण पुत्र मूलचंद जाति ब्राहमण साकिन गुढाकटला के नाम है, इस दस्तावेज के अनुसार प्रश्नगत भूमि के खसरा नंबर 24 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा नंबर 472 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल भूमि 2 बीघा 12 बिस्वा का अंकन है, इस पर्चे में ही गणेशनारायण द्वारा दोनों भाईयों के नाम भूमि करने का निवेदन किया था । ध्यातव्य है कि उक्त पर्चे को दिनांक 11.8.1960 को स्वीकृत किया गया ।

4. प्रश्नगत भूमि एवं अन्य भूमियों के मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किये गये ।
5. भू.प्रबन्ध विभाग की राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 का फार्म संख्या 7 जिसमें हाल एवं गत खसरा नंबरों की मिसल बंदोबस्ती की गई ।
6. जमाबंदी ग्राम मूही संवत् 2073—76 खाता संख्या नया 345 पुराना 336

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 की ओर से प्रकरण में जवाब दावा पेश किया गया । प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 द्वारा अपना जवाब इस प्रकार प्रस्तुत किया कि पैरा नंबर 3 में अंकित भूमि से वादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है । वाद पत्र के जिम्मन नंबर 4 में दर्ज साबिक खसरा नंबरान व रकबा प्रति[illegible] के बुजुर्ग गणेशनारायण के नाम रिकोर्डेड खातेदारी दर्ज चली आ रही है । वर्तमान में [illegible] प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है । पैरा नंबर 5 जिस कदर [illegible] किया है वह मनगढण्त व गलत होने से अस्वीकार है । गलत है । वादीगण के दादा मूलचंद उर्फ मूल्या वल्द कालूराम के नाम 18 बीघा 16 बिस्वा जो जमीन चली आ रही है उस जमीन में से आधी जमीन वादीगण के पिता श्रीनारायण के हिस्से में राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हो गई थी और 1/2 भूमि गणेशनारायण के नाम दर्ज हो चुकी थी जिस पर गणेशनारायण प्रतिवादीगण के बुजुर्ग व श्रीनारायण वादीगण के बुजुर्ग के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हो चुकी । तो कुछ जमीन को तो वादीगण के पिता श्रीनारायण ने पूर्व में ही बेचान कर दिया एवं कुछ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

जमीन को वादगण ने बेचान कर दी । अब वर्तमान में वादीगण के नाम पूर्वजों की जमीन में से कोई हिस्सा ही नहीं रहा है । प्रतिवादीगण के बुजुर्ग गणेशनारायण ने मूल्या उर्फ मूलचंद की मृत्यु के पश्चात बडे बेटे होने का कभी भी कोई फायदा नहीं उठाया और ना ही अपने पिता की भूमि संपूर्ण को अपने नाम कभी भी नहीं करवाई बल्कि अपने पिता की संपूर्ण भूमि का दोनों भाईयों का 1/2 – 1/2 हिस्सा था और दोनों भाई गणेशनारायण व श्रीनारायण ने अपने पिता की 1/2 – 1/2 भूमि विरासत के अनुसार प्राप्त कर ली कभी भी गणेशनारायण के अकेले के नाम मूलचंद उर्फ मूल्या की भूमि नहीं आई । अतः दावा वादीगण का मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे । प्रतिवादीगण द्वारा उनके जवाब के संलग्न दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये गये ।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 की ओर से न्यायालय हाजा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का इस आशय का पेश किया कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक दावा उद्‌घोषणा बाबत खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है । क्योंकि वादीगण खातेदार काश्तकार खाता संख्या नया 345 पुराना 336 खसरा नंबर 1664/2402 रकबा 0.01 हैक्टयर, 1667 रकबा 0.09 हैक्टयर, 1929 रकबा 0.03 हैक्टयर, 1930 रकबा 0.42 हैक्टयर, 1931 रकबा 0.38 हैक्टयर, 1933 रकबा 0.48 हैक्टयर, 1936/2458 रकबा 0.49 हैक्टयर, 2063 रकबा 0.43 हैक्टयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.31 हैक्टयर वाके ग्राम मूही में स्थित है । उक्त भूमि के खातेदार ललता प्रसाद शर्मा फौत हो चुके हैं जिनके वारिसान को प्रतिवादी संख्या 6 गायत 12 में शुमार किया गया है । वादीगण के दादा मूलचंद उर्फ मूल्या वल्द कालूराम के नाम 18 बीघा 16 बिस्वा जमीन चली आ रही है । उस जमीन में आधी जमीन वादीगण के पिता श्रीनारायण के हिस्से में राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हो गई थी । उक्त आधी जमीन जो हिस्से में दर्ज हो चुकी थी उसे वादीगण के पिता श्रीनारायण ने पूर्व में ही बेचान कर दिया एवं कुछ जमीन को वादीगण ने बेचान कर दिया । प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 के द्वारा उनके प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 के अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि उपरोक्त वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की रिकोर्डेड खातेदारी है जो प्रतिवादीगण के बुजुर्ग गणेशनारायण की खातेदारी की भूमि रही है । कुछ प्रतिवादीगण के दादा व कुछ प्रतिवादीगण के पिता ने उपरोक्त वर्णित भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 4.12.1958 में एवं जरिये विक्रय पर दिनांक 26.4.1965 एवं जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.4.1965 को क्रय की थी जिसको सब रजिस्ट्रार तहसीलदार बसवा के यहां तस्दीक करवाकर क्रय की थी । उसके उपरांत प्रतिवादीगण के दादा व पिताजी के नाम खातेदारी दर्ज हो गई थी। जिससे प्रतिवादीगण के के बुजुर्ग गणेशनारायण की स्वयं की स्व अर्जित भूमि है । अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का वादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया । उन्होंने उनके जवाब में अंकन किया कि वादपत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे । प्रा.पत्र वेग व अस्पष्ट है । जिसका प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज किया जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:03:12 IST
Reason: Self Attested

हमने प्रकरण में उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी । उभय पक्षकारान अधिवक्तागण द्वारा अपने अपने पक्षों के समर्थन में पुरजोर बहस की ।

हमने सिविल प्रकिया सहिंता 1908 के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों का अवलोकन किया, उक्त प्रावधानों के तहत वादपत्र का नामूंजर करने के निम्नांकित बिन्दुओं का अंकन है :–

क. जहां वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है ।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

ख. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मुल्याकंन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसी करने में असफल रहता है ।

ग. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किंतु वादपत्र अपर्याप्त स्टांप पेपर पर लिखा गया है ओर वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है ।

च. जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

ड. जहां यह 2 प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता

च. जहां वादी नियम 9 के उपबंधो की पालना करने में असफल रहता है ।

प्रकरण एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन एवं बहस उपरांत पाया जाता है कि आदेश 7 नियम 11 के बिन्दु संख्या ख लगायत च तो वादी के पक्ष में पूर्णतया सिद्ध हैं किंतु बिन्दु संख्या ''क'' का अवलोकन किया जाना बेहद आवश्यक प्रतीत होता है ।

इस बिन्दु की सिद्धि के लिये पुनः वादपत्र एवं बहस व रिकोर्ड का तुलनात्मक अध्ययन अति आवश्यक है :-

1. वादपत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 रिकोर्ड की सीमा तक सही व दुरस्त हैं ।

2. वादपत्र का बिन्दु संख्या 5 संलग्न मिसल हकीकत 1984 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बुजुर्ग मूल्या उर्फ मूलचंद के नाम दर्ज रिकोर्ड रही है ।

किंतु प्रश्न यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व भूमि बंदोबस्त प्रकिया 1956 से 1960 से पूर्व का रिकोर्ड यथा मिसल हकीयत 1984 अर्थात् वर्ष 1927 के रिकोर्ड के आधार पर क्या किसी व्यक्ति का कोई टाइटल प्रश्नगत भूमि में उत्पन्न होता है तो इसका उत्तर नहीं होगा । चूंकि बंदोबस्त प्रक्रिया के उपरांत नवीन इकाईया व खातेदारी भूमियां संबंधित खातेदारों को प्रदान हुई, इसलिए यह बिन्दु कोई महत्ता उत्पन्न नहीं करता है । भूमि के हक हकूक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व बंदोबस्त प्रकिया से पूर्व के रिकोर्ड के आधार पर किसी व्यक्ति को टाइटल दिया जावें यह राजस्व नियमों के साथ बेमानी होगा ।

3. बिन्दु संख्या 6 में वादपत्र में अंकन किया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 15 के दादा जी गणेशनारायण ने एकीकरण के समय तत्कालीन अधिकारियों के समक्ष 11.8.1960 को जलसे आम में बनाया किया कि मेरे पिता मूलचंद फौत हो गये हैं । जिसको करीब ढाई माह का समय हो गया । मूलचंद के 2 जायन्दा लडके हैं । अतः खाता मजकूर की आराजी की इन्द्राज खातेदारी हमारे नाम निम्न प्रकार की जावे । पटेलान पेट भी तस्दीक करते हैं । गणेशनारायण व श्री नारायण पिता मूलचंद जाति ब्राहमण साकिन गुढाकटला हिस्सा बराबर । उक्त बयान का भूमि एकीकरण विभाग राजस्थान के ''पर्चा आखरी तस्दीक'' में इसका विवरण दर्ज है । उक्त बयान पर गणेशनारायण के स्वयं के हस्ताक्षर भी है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:03:12 IST
Reason: SSMA Tested

बिन्दु संख्या 7 में अंकित किया है कि गणेशनारायण [illegible] आराजियात जो कि पैतृक संपत्ति होने की वजह से उसे अपने पिता [illegible] की मृत्यु के पश्चात बड़े बेटे होने के कारण उसके नाम दर्ज हो गई [illegible] पर्चा बयान दिया था परंतु भू प्रबन्ध अधिकारियों के द्वारा उक्त पर्चा बयान में गणेशनारायण द्वारा स्वीकार करने के बावजूद भी वादीगण के दादा श्रीनारायण के नाम भूमि वादग्रस्त में 1/2 हिस्से का इन्द्राज नहीं किया गया जो कि कानूनन दर्ज होना जरूरी था । वादीगण भूमि वादग्रस्त में हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार हैं और इसी आशय की अद्घोषणा करवाने के अधिकारी हैं ।

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

प्रकरण में उक्त दोनों बिन्दु 6 व 7 के आधार पर ही वादीगण द्वारा ज्यादा फोकस किया गया है । लिहाजा उक्त दोनों बिन्दुओं का सारगर्भित अर्थ यह है कि भूमि एकीकरण के दौरान दिनांक 11.8.1960 को उनके ताउ एवं प्रतिवादीगण के पिता/दादा गणेशनाराण द्वारा भूमि एकीकरण के समक्ष मूलचंद उर्फ मूल्या के 2 पुत्र होने का बयान दिया फिर भी भूमि केवल गणेशनारायण के नाम ही राजस्व रिकोर्ड में अंकित हुई, एवं वादीगण के पिता श्रीनारायण का नाम राजस्व रिकोर्ड में अंकित नहीं किया । अतः इसे अंकित करवाया जावे।

हमने इस दस्तावेज का गहन अवलोकन किया जो कि पत्रावली के पृष्ठ संख्या 17 पर संलग्न है । यह पर्चा भूमि एकीकरण विभाग राजस्थान का "पर्चा आखरी तस्दीक" खाता संख्या 225 व ग्राम मूही का अंकन है जिसे कि खातेदार श्रीनारायण द्वारा दिनांक 11.8.1960 को हस्ताक्षरित किया है । इस पर्चा की पुश्त पर अंकन किया हुआ है कि "गणेशनारायण पुत्र मूलचंद ने जलसे आम में बयान किया कि मेरे पिता मूलचंद फौत हो गये । जिसको करीब ढाई माह हो गया । मूलचंद के हम दो जायंदा लडके हैं । अतः खाता मजकूर की आराजी की इन्द्राज खातेदारी हमारे नाम निम्न प्रकार की जावे । पटेलान पेट भी तस्दीक करते हैं । गणेशनारायण व श्रीनारायण जाति ब्राहमण सा. गुढाकटला हिस्सा बराबर ।

इस पर्चे पर कृषक वाले कॉलम में अंकन किया है कि "पुनः विभाजन के पश्चात गणेनारायण व श्रीनारायण पि. मूलचंद जाति ब्राहमण निवासी गुढाकटला" का अंकन किया गया है ।

सबसे महत्वपूर्ण है कि इस पर्चे के माध्यम से गणेशनारायण व श्रीनारायण को कितनी भूमि प्राप्त हुई । इस पर्चे में केवल 2 खसरा नंबर यथा खसरा नंबर 24 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा एवं 572 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा का अंकन किया हुआ है । ऐसी दशा में उक्त विश्लेषण से यह पूर्णतया स्पष्ट होता है कि उक्त पर्चा केवल तत्समय के 2 खसरों से संबंधित था ना कि उल्लेखित अन्य आराजी से संबंधित ।

वकील प्रतिवादीगण ने उनकी बहस आदेश 7 नियम 11 के प्रा.पत्र के बहस के दौरान इस बिन्दु को प्रमुखता से उठाया कि उक्त साबिक खसरा नंबर 24 व 572 के हाल खसरा नंबर 139 व 1800 रहे हैं । खसरा नंबर 139 का रकबा 0.34 हैक्टयर है एवं खसरा नंबर 1800 का रकबा 0.32 हैक्टयर है, कुल किता 2 कुल रकबा 0.66 हैक्टयर भूमि से संबंधित उक्त रिकोर्ड है, एवं इस भूमि में श्रीनारायण पुत्र मूलचंद 1/2 के हिस्सेदार रहे हैं एवं उनकी मृत्यु के उपरांत लुभायाराम, गजेन्द्रकुमार पुत्रान श्रीनारायण एवं गोदावरीदेवी पत्नी श्रीनारायण हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकोर्ड रहा है । इसके समर्थन में उन्होंने जमाबंदी संवत् 2069-72 खाता संख्या 332 ग्राम मूही की जमाबंदी पेश की । वकील प्रतिवादी ने बहस के दौरान इस तथ्य को उठाया कि उक्त खातेदारान/वादीगण द्वारा इस खाते की उनके हिस्से की समस्त भूमि को रूपलीदेवी पत्नी रामजीलाल को विक्रय कर दिया जिसका नामान्तकरण भी नामान्करण संख्या 505 दिनांक 20.12.2012 के द्वारा राजस्व रिकोर्ड में भी केता रूपलीदेवी का नाम का अमलदरामद हो चुका है ।

संपूर्ण प्रकरण के उपलब्ध दस्तावेज, बहस एवं नजीरों के आधार पर प्रकरण में वर्णित भूमियों के संबंध में वादीगणों का कोई संबंध व [illegible] नहीं होने से प्रकरण में कोई वाद हैतुक उत्पन्न होना नहीं पाया जाता है ।

अतः प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार करना [illegible] व विधिसम्मत प्रतीत होता है जबकि प्रचलित उक्त वाद को निरंतर रखा जाना न्यायो[illegible] एवं विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:03:12 IST
Reason: Self Attested

आदेश

लिहाजा आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 की ओर से प्रस्तुत प्रा.पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत प्रस्तुत प्रा.पत्र पोषणीय होने से स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

किया जाता है एवं प्रश्नगत इस वाद प्रकरण संख्या :–40/2023 प्रकरण :– दावा उद्घोषणा बाबत खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने के आदेश दिया जाता है ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, एवं मूल दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र भी खारिज होकर नंबर से कम हो ।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज.

(रेखा मीना)
उपखण्ड अधिकारी बसवा
जिला–दौसा

उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested

उनवान- सुगमाराम बनाम चन्द्रशेखर
मु०नं० T.I. 24/2023

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी
बसवा (दौसा)

मिसिल हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
7/10/24	पत्रावली पेश हुई मूल दावा प्रकरण सुगमाराम वगै. बनाम चन्द्रशेखर वगै. 40/2023 अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 CPC में खारिज किया जा चुका है चूंकि मूल दावा खारिज हो चुका है ऐसी स्थिति में इस अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का कोई महत्व नहीं रहता है लिहाजा उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली प्रकरण सं. 24/2023 को खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल दफ्तर होकर नकल से कम हो

उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा)

उप जिला मजिस्ट्रेट
बसवा (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.10.24 13:03:12 IST
Reason: SelfAttested